

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
JODHPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 2197/2018

Ramlal Sonel

----Appellant

Versus

Budharam

----Respondent

For Appellant(s)	:	Dr. Harsh Kumar Purohit
For Respondent(s)	:	Mr. Prakash Ram

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

08/05/2026

प्रार्थी युवराज की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत कर इस अपील में उसे अपीलार्थी के रूप में प्रतिस्थापित किए जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना-पत्र पर सुना गया।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विवादित सम्पत्ति से सम्बन्धित मूल वाद उसके पिता श्री रामलाल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कालांतर में श्री रामलाल ने उक्त सम्पत्ति प्रार्थी युवराज के पक्ष में पंजीकृत दान-विलेख दिनांकित 15.07.2025 से बख्शीश कर दी। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को अपीलार्थी रामलाल के स्थान पर अपीलार्थी के रूप में प्रतिस्थापित किया जावे।

उनका यह भी कथन रहा है कि मूल वाद में प्रार्थी को वादी रामलाल के स्थान पर प्रतिस्थापित किए जाने का आदेश दिनांक 07.08.2025 द्वारा पारित किया जा चुका है। आदेश की प्रति भी उनके द्वारा प्रस्तुत की जा रही है।

विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा प्रार्थी को रामलाल के स्थान पर प्रतिस्थापित किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना प्रकट किया गया है।

विचार किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

प्रार्थना-पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी युवराज को अपीलार्थी रामलाल के स्थान पर प्रतिस्थापित किए जाने का आदेश दिया जाता है।

संशोधित शीर्षक प्रस्तुत किया जावे।

संशोधित शीर्षक पूर्व से प्रस्तुत है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।
कार्यालय उसे सही स्थान पर संलग्न करे।

(SHUBHA MEHTA),J

61-ajays/-